कृषि विभाग, बिहार सरकार
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2010 को पटना, मगध, सारण एवं दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत जिलों का पटना में आयोजित मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति अलग से संधारित।

बैठक की कार्यवाही

1. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को अभिलेखीकरण के निमित्त दिनांक 01.02.2010 को बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सह कर्मशाला आयोजित होना है। अतः उक्त कर्मशाला में सभी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आत्मा एवं प्रत्येक जिला से एक सुयोग्य परामर्शी को भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2009–10 अंतर्गत कराये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अंकेक्षण प्रतिवेदन का Compliance अभी तक मात्र पटना, नालंदा, भभुआ, नवादा, बांका एवं सीवान से ही प्राप्त हुआ है। समीक्षा के क्रम में शेष जिलों से अभी तक अनुपालन प्रतिवेदन नहीं दिये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2009–10 अंतर्गत शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराने हेतु जिला कृषि पदाधिकारियों के अनुरोध के आधार पर संशोधित कार्यक्रम तैयार किया गया है (अनुसूची–1) निदेश दिया गया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।
4. जिलों से प्राप्त माह दिसम्बर 2009 का प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर जिलावार/ कार्यक्रमवार समीक्षा की गयी। जिलों से प्राप्त इस माह का प्रगति प्रतिवेदन फसलवार अनुसूची–2 के रूप में अनुलग्न है।
5. वी0पी0एन0–225 योजना अंतर्गत निर्धारित साख सीमा से अधिक उपयोग की गयी राशि का भुगतान जिन पदाधिकारियों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, उन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया अविलंब भुगतान कर दें अन्यथा वेतन से कटौती करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारियों को सूचित कर दिया जायेगा।
6. वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन की कार्ययोजना तैयार की जानी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार जिलावार/कार्यक्रमवार लक्ष्य अनुलग्न करते हुए निदेशित है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत चिन्हित मानदंडों के अनुसार वर्ष 2010–11 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य को निर्धारित कर विहित प्रपत्र अनूसूची–3 (क, ख, ग) में प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

पटना प्रमंडल

7. पटना जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि 52.89 प्रतिशत है। जिला कृषि पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 80 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर ली जायेगी।
8. नालंदा जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 82.27, 79.61 तथा 49.59 प्रतिशत है। जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा बैठक में उपस्थित नहीं थें। जिससे नालंदा जिला की पूर्ण समीक्षा नहीं हो पायी।
9. भोजपुर जिला से प्राप्त माह दिसम्बर 2009 के प्रगति प्रतिवेदन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अंतर्गत कुल उपलब्धि मात्र 43.48 प्रतिशत दर्शायी गयी है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण (खरीफ), सीड ड्रील वितरण, स्प्रींकलर सेट वितरण कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्धि शून्य है। जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शत–प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर ली जायेगी तथा यह भी बताया गया कि पक्का खलिहान बनाने हेतु चयनित किसानों का अग्रिमचेक इस माह में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10. रोहतास जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत उपलब्धि 79.82 प्रतिशत है। उक्त जिला में प्रमाणित बीज वितरण अंतर्गत निर्धारित 30,463 क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध कुल 31,232 क्विंटल बीज वितरण किया गया है जो कि निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा है। प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक, पटना को निदेशित किया गया कि रोहतास जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों का समीक्षा कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।
11. भभुआ जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 67.81 प्रतिशत तथा 44.67 प्रतिशत है। जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ को निदेशित किया गया कि उपलब्धि प्राप्त करने में तेजी लायी जाय।

मगध प्रमंडल

12. जिला कृषि पदाधिकारी, गया द्वारा उपलब्ध कराये गये माह दिसम्बर 2009 के प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर कुल उपलब्धि 56 प्रतिशत दर्शायी गयी है। जिला कृषि पदाधिकारी, गया द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रचार–प्रसार मद में कुल 75,000/– रूपये अतिरिक्त राशि जिला को आवंटित किया जाय।
13. औरंगाबाद जिला के समीक्षा क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अंतर्गत मात्र 19 प्रतिशत उपलब्धि प्रतिवेदित है तथा भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में कोई समरूपता नहीं है। परियोजना प्रबंधन दल के गठन हेतु गत माह में ही लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा संपन्न होने के बावजूद अभी तक

परियोजना प्रबंधन दल का अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जिसपर क्षोभ व्यक्त किया गया एवं इनसे स्पष्टीकरण पृच्छा हेतु निदेश दिया गया।

14. नवादा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत उपलब्धि 66 प्रतिशत है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में प्रचार–प्रसार संबंधी कार्यों को पूरा नहीं किया गया है तथा परियोजना प्रबंधन दल के सदस्यों के कार्यों का निर्धारण नहीं किया गया है। उन्हें निदेशित किया गया कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गंभीरता से किया जाय।

सारण प्रमंडल

15. सारण जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह दिसम्बर 2009 तक की उपलब्धि मात्रा 48 प्रतिशत है। जिप्सम वितरण एवं लोकल इनिसिएटिव अंतर्गत उपलब्धि मात्र क्रमशः 32 एवं 30 प्रतिशत है तथा प्रचार–प्रसार में कोई प्रगति उपलब्धि नहीं दिखायी गयी है जो कि खेद का विषय है। जिला कृषि पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत उपलब्धि हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

16. सीवान जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अंतर्गत जिले की कुल उपलब्धि 72 प्रतिशत है। जिरो टिल सीड ड्रील एवं रोटावेटर वितरण में उपलब्धि अत्यंत कम है साथ ही प्रचार–प्रसार कार्यक्रम भी धीमी है। अतः निदेश दिया गया कि कार्यक्रमों के प्रगति में तेजी लायी जाय।

दरभंगा प्रमंडल

17. दरभंगा जिला के समीक्षा में पाया गया कि चावल एवं गेहूँ अंतर्गत माह दिसम्बर 2009 में प्रगति क्रमशः 72 एवं 53 प्रतिशत है। उपलब्ध कराये गये प्रगति प्रतिवेदन में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में समरूपता नहीं पायी गयी। प्रचार–प्रसार कार्यक्रम की स्थिति नगण्य है। अतः जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय एवं गंभीरता से किया जाय।

18. मधुबनी जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत माह दिसम्बर 2009 की वित्तीय उपलब्धि क्रमशः 67 प्रतिशत, 39 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत है। असंतोषप्रद उपलब्धि को देखते हुए पाया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी में नेतृत्व क्षमता का अभाव है तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। अतः स्पष्टीकरण पृच्छा करते हुये प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक, दरभंगा को निदेशित किया गया कि प्रपत्र 'क' में आरोप तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा करें।

19. समस्तीपुर जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत माह दिसम्बर 2009 की वित्तीय उपलब्धि क्रमशः 39 प्रतिशत, 56 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत है। असंतोषप्रद उपलब्धि को देखते हुए

पाया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर में सरकारी कार्यों के प्रति घोर उदासीनता एवं नेतृत्व क्षमता का अभाव है तथा इनके द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। अतः स्पष्टीकरण पृच्छा करते हुये प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक, दरभंगा को निदेशित किया गया कि प्रपत्र 'क' में आरोप तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा करें।

<u>अन्यान्य</u>

20. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अंतर्गत सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया की प्रत्येक प्रत्यक्षण का विस्तृत विवरण पूर्ण सूचना के साथ विहित प्रपत्र में अलग–अलग पृष्ठ पर संधारित करें। प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल पर फ्लैक्सी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक स्थल का फोटोग्राफ निश्चित रूप से उपलब्ध करावें।

21. जिन जिलों में प्रचार–प्रसार अंतर्गत वॉल पेंटिंग,बस पैनल, होर्डिंग इत्यादि नहीं कराया गया है उन जिला के जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उक्त कार्यों को यथा शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक जनवरी 2010

प्रतिलिपि :– (1) कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(3) प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(4) संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

कृषि विभाग, बिहार सरकार
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 23.01.2010 को कोशी, तिरहुत एवं भागलपुर प्रमंडल अंतर्गत जिलों का पटना में आयोजित मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति अलग से संधारित।

बैठक की कार्यवाही

1. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के अभिलेखीकरण के निमित्त दिनांक 01.02.2010 को बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सह कर्मशाला आयोजित होना है। अतः उक्त कर्मशाला में सभी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आत्मा एवं प्रत्येक जिला से एक सुयोग्य परामर्शी को भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2009–10 अंतर्गत कराये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अंकेक्षण प्रतिवेदन का Compliance अभी तक मात्र पटना, नालंदा, भभुआ, नवादा, बांका एवं सीवान से ही प्राप्त हुआ है। समीक्षा के क्रम में शेष जिलों से अभी तक अनुपालन प्रतिवेदन नहीं दिये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2009–10 अंतर्गत शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराने हेतु जिला कृषि पदाधिकारियों के अनुरोध के आधार पर संशोधित कार्यक्रम तैयार किया गया है (अनुसूची–1)। निदेश दिया गया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।
4. जिलों से प्राप्त माह दिसम्बर 2009 का प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर जिलावार/कार्यक्रमवार समीक्षा की गयी। जिलों से प्राप्त इस माह का प्रगति प्रतिवेदन फसलवार अनुसूची–2 के रूप में अनुलग्न है।
5. वी0पी0एन0–225 योजना अंतर्गत निर्धारित साख सीमा से अधिक उपयोग की गयी राशि का भुगतान जिन पदाधिकारियों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, उन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया अविलंब भुगतान कर दें अन्यथा वेतन से कटौती करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारियों को सूचित कर दिया जायेगा।
6. वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन की कार्ययोजना तैयार की जानी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार जिलावार/कार्यक्रमवार लक्ष्य अनुलग्न करते हुए निदेशित है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत चिन्हित मानदंडों के अनुसार वर्ष 2010–11 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य को निर्धारित कर विहित प्रपत्र अनूसूची–3 (क, ख, ग) में प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

7. मासिक प्रगति प्रतिवेदन अन्य योजना के साथ में ही नहीं देकर अलग बुकलेट में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

8. सभी संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को निदेश दिया गया कि अपने प्रमंडल अंतर्गत जिलों में चलाये जा रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रमों का जाँच/मूल्यांकन लगातार करते रहें तथा जाँच प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कोशी प्रमंडल

9. सहरसा जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—चावल एवं दलहन अंतर्गत कुल लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि क्रमशः 76 प्रतिशत एवं 19 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—चावल अंतर्गत जिरो टिल सीड ड्रील वितरण कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—दलहन अंतर्गत आधार बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण (खरीफ), जिरो टिल सीड ड्रील, रोटावेटर, सीड ड्रील विरतण, नैपसेक स्प्रेयर एवं समेकित किट प्रबंधन घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है जो कि अत्यंत निराशाजनक है। जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा को निदेशित किया गया कि शत—प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय।

10. सुपौल जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—चावल, गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 64 प्रशित, 31 प्रतिशत तथा 09 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—चावल अंतर्गत प्रमाणित बीज वितरण (रबी + बोरो) में उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—दलहन अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज वितरण, सीड ड्रील वितरण, स्प्रींकलर सेट घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि कुल 42 पक्का खलिहान तैयार करा लिया गया है कृषि निदेशक—सह—मिशन निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि तैयार किये गये सभी पक्का खलिहान का सूची फोटोग्राफ के साथ दो दिनों के अंदर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लावें।

11. खगड़िया जिला से प्राप्त माह दिसम्बर 2009 के प्रगति प्रतिवेदन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ अंतर्गत कुल उपलब्धि मात्र 47 प्रतिशत दर्शायी गयी है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिरो टिल सीड ड्रील वितरण कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्धि शून्य है। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया को निदेशित किया गया कि कार्यक्रमों क्रियान्वयन गंभीरतापूर्वक कराना सुनिश्चित करें।

12. मधेपुरा जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—चावल, गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 71 प्रतिशत 33 प्रतिशत एवं 19 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—चावल अंतर्गत प्रत्यक्षण, प्रमाणित बीज वितरण (रबी + बोरो), जिरो टिल सीड ड्रील एवं रोटावेटर घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ अंतर्गत जिरो टिल

सीड ड्रील एवं रोटावेटर घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन, जिरो टिल सीड ड्रील, रोटावेटर, सीड ड्रील एवं स्प्रींकलर सेट घटक अंतर्गत शून्य उपलब्धि दर्ज है। निदेशित किया गया कि शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु तेजी लायी जाय।

13. पूर्णियाँ जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 23 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत पम्पसेट वितरण, किसान पाठशाला एवं पक्का खलिहान घटक अंतर्गत केवल भौतिक उपलब्धि दर्शाया गया है वित्तीय नहीं तथा प्रचार–प्रसार अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण (खरीफ), जिप्सम, जीरो टिल सीड ड्रील, रोटावेटर, सीड ड्रील, स्प्रींकलर सेट, नैपसेक स्प्रेयर, समेकित किट प्रबंधन, किसान पाठशाला एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है जबकि लोकल इनिसिएटिव अंतर्गत भौतिक उपलब्धि 100 प्रतिशत एवं वित्तीय उपलब्धि शून्य प्रतिशत दर्शायी गयी है जो अत्यंत खेदजनक है। जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ को कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन हेतु सख्त निदेश दिये गये।

14. कटिहार जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अंतर्गत प्रमाणित बीज वितरण एवं जिरो टिल सीड ड्रील घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्ज है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत जिरो टिल सीड ड्रील घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्ज है तथा लोकल इनिसिएटिव अंतर्गत मात्र भौतिक उपलब्धि दर्शायी गयी है। जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार को निदेशित किया गया कि उपलब्धि हासिल करने हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय।

15. अररिया जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि शून्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अंतर्गत प्रत्यक्षण, बीज वितरण एवं किसान पाठशाला अंतर्गत केवल भौतिक उपलब्धि दर्ज है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत केवल मिनीकिट एवं किसान पाठशाला कार्यक्रम में भौतिक उपलब्धि दर्शायी गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अंतर्गत कोई भी कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया गया है जो अत्यंत ही निराशाजनक है और इस पर कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा घोर आपत्ति व्यक्त करते हुये निदेशित किया गया कि इनसे स्पष्टीकरण पृच्छा की जाय।

16. किशनगंज जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 41 प्रतिशत तथा 71 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अंतर्गत प्रमाणित बीज वितरण (बोरो एवं रबी), जिरो टिल सीड ड्रील एवं रोटावेटर घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्ज है। राष्ट्रीय

खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत जिरो टिल सीड ड्रील एवं रोटावेटर घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्ज है तथा लोकल इनिसिएटिव अंतर्गत केवल भौतिक उपलब्धि दर्शायी गयी है वित्तीय नहीं। कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा क्षोभ व्यक्त किया गया तथा जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज को निदेशित किया गया कि उपलब्धि हासिल करने हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय।

<u>भागलपुर प्रमंडल</u>

17. भागलपुर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये माह दिसम्बर 2009 के प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर कुल उपलब्धि 43 प्रतिशत दर्शायी गयी है। जिरो टिल सीड ड्रील एवं रोटावेटर अंतर्गत केवल भौतिक उपलब्धि दर्ज है वित्तीय नहीं तथा प्रचार–प्रसार कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर को निदेशित किया गया कि उपलब्धि हासिल करने हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लावें।

18. मुंगेर जिला के समीक्षा क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत 55 प्रतिशत उपलब्धि प्रतिवेदित है तथा भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में कोई समरूपता नहीं है। जिरो टिल सीड ड्रील एवं रोटावेटर घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। उन्हें निदेशित किया गया कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गंभीरता से करें।

19. जमुई जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 74 प्रतिशत एवं 72 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अंतर्गत जिरो टिल सीड ड्रील तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत जिरो टिल सीड ड्रील, नैपसेक स्प्रेयर, लोकल इनिसिएटिव तथा प्रचार–प्रसार घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। इस पर जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई द्वारा बताया गया कि सभी घटक अंतर्गत उपलब्धि हासिल करने हेतु भरपूर प्रयास किया जा रहा है।

20. बांका जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 53 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अंतर्गत जिरो टिल सीड ड्रील घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व अंतर्गत कर्णांकित लक्ष्य 1.555 लाख के विरूद्ध 3.97835 लाख रूपये दर्शाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत जिरो टिल सीड ड्रील घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है तथा रोटावेटर, किसान पाठशाला एवं लोकल इनिसिएटिव अंतर्गत केवल भौतिक उपलब्धि दर्शायी गयी है वित्तीय नहीं। कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा कम उपलब्धि तथा भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में समरूपता नहीं होने पर क्षोभ व्यक्त किया गया और उन्हें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन गंभीरतापूर्वक करने हेतु निदेशित किया गया।

21. शेखपुरा जिला के समीक्षा क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत 48 प्रतिशत उपलब्धि प्रतिवेदित है। जिरो टिल सीड ड्रील एवं रोटावेटर घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि लोकल इनिसिएटिव अंतर्गत कुल लक्ष्य 30 के विरूद्ध 4

खलिहान बनाने हेतु अग्रिम भुगतान की गयी है इस पर कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी तथा उन्हें निदेशित किया गया कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गंभीरता से किया जाय।

तिरहुत प्रमंडल

22. मुजफ्फरपुर जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 66 प्रतिशत 60 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण (रबी), जिरो टिल सीड ड्रील, सीड ड्रील एवं स्प्रींकलर सेट घटक अंतर्गत शून्य उपलब्धि दर्ज है। निदेशित किया गया कि शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु तेजी लायी जाय।

23. वैशाली जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत जिले की कुल उपलब्धि 80 प्रतिशत है। जिरो टिल सीड ड्रील, आकस्मिक व्यय एवं प्रचार–प्रसार में उपलब्धि शून्य है साथ ही लोकल इनिसिएटिव अंतर्गत केवल भौतिक उपलब्धि दर्शायी गयी है वित्तीय नहीं। कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा बताया गया कि भ्रमण के दौरान वैशाली जिले में पाया गया कि फ्लैक्सी बोर्ड बाँस के डंडे में लगा हुआ है जबकि लोहे के एंगील में लगाने का प्रावधान है। उन्हें निदेशित किया गया कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गंभीरता से किया जाय।

24. पूर्वी चम्पारण जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 58 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अंतर्गत जिरो टिल सीड ड्रील, रोटावेटर एवं प्रचार प्रसार घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत प्रचार–प्रसार घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है जबकि अतिरिक्त बीज वितरण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व अंतर्गत केवल भौतिक उपलब्धि दर्शायी गयी है वित्तीय नहीं। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा बताया गया कि कुल 91 पक्का खलिहान तैयार हो चुका है। कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि सभी तैयार पक्का खलिहान की सूची सोमवार दिनांक 25.01.2010 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्हें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन गंभीरतापूर्वक करने हेतु निदेशित किया गया।

25. प0 चम्पारण जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अंतर्गत प्रमाणित बीज वितरण (रबी + बोरो) एवं प्रचार प्रसार घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत प्रचार–प्रसार घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है उन्हें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन गंभीरतापूर्वक करने हेतु निदेशित किया गया।

26. सीतामढ़ी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अंतर्गत उपलब्धि क्रमशः 71 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अंतर्गत लोकल इनिसिएटिव घटक अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी

है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अंतर्गत आकस्मिक व्यय, लोकल इनिसिएटिव एवं प्रचार–प्रसार घटक अंतर्गत उपलब्धि शून्य दर्शायी गयी है उन्हें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन गंभीरतापूर्वक करने हेतु निदेशित किया गया।

अन्यान्य

27. किसान पाठशाला कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक पाठशाला का पूर्ण विवरण यथा पाठशाला का स्थल, किसानों का नाम, प्रशिक्षण तिथि/दिवस, प्रशिक्षक का नाम अलग–अलग पृष्ठ पर संधारित करने हेतु निदेशित किया गया।

28. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अंतर्गत सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रत्यक्षण का विस्तृत विवरण पूर्ण सूचना के साथ विहित प्रपत्र में अलग–अलग पृष्ठ पर संधारित करें। प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल पर फ्लैक्सी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक स्थल का फोटोग्राफ निश्चित रूप से उपलब्ध करावें।

29. जिन जिलों में प्रचार–प्रसार अंतर्गत वॉल पेंटिंग बस पैनल, हो डिंग इत्यादि नहीं कराया गया है उन जिला के जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उक्त कार्यों को यथा शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, कटिहार, खगड़िया, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण एवं सीतामढ़ी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक जनवरी 2010

प्रतिलिपि :– (1) कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(3) प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(4) संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

कृषि विभाग, बिहार सरकार

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

<u>कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2010 को रा॰खा॰सु॰मि0॰–चावल, गेहूँ एवं दलहन अन्तर्गत सभी जिलों का आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।</u>

उपस्थिति अलग से संधारित।

<u>बैठक की कार्यवाही</u>

1. कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा बैठक की कार्यवाही आरंभ करते हुये सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत विषय वस्तु विशेषज्ञ के नियोजन हेतु विज्ञापन निकाला जा चुका है। इनकी नियुक्ति के पश्चात् जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में काफी सहयोग मिलेगा। इसी क्रम में यह भी बताया गया कि राज्य में चल रहे कृषि विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को किसानों के बीच प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिये सभी पंचायत में किसान सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है।
2. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु 19 जिलों को वाहन क्रय हेतु स्वीकृति तथा राशि का आवंटन किये जाने के संबंध में सूचित किया गया। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि 31 मार्च, 2010 से पहले वाहन का क्रय करना सुनिश्चित करें। जिन जिलों में सरकारी वाहन क्रय करने हेतु निदेश नहीं है उन जिलों के लिये भाड़े के वाहन हेतु आवश्यक योजना तथा आवंटन की स्वीकृति दे दी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी संबंधित पदाधिकारी निर्गत दिशा निदेश के आलोक में भाड़े के वाहन का उपयोग कर योजना का अनुश्रवण तथा क्रियान्वयन किया जाय।
3. समीक्षा के क्रम में कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा बताया गया कि राज्य में चल रहें सभी योजनाओं की स्वीकृति सरकार के स्तर से की जा चुकी है। अतः निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह तक इसका क्रियान्वयन यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि कोषांग द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र के बुकलेट में सभी सूचनाओं सहित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है। मात्र पटना, नालन्दा, सहरसा, वैशाली एवं पूर्वी चम्पारण जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में सभी सूचनाओं को अंकित किया गया है।

सीतामढ़ी तथा पूर्णिया जिलें के अपूर्ण प्रतिवेदन में संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पृच्छा करने हेतु निदेश दिया गया।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, अन्तर्गत समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नालन्दा, गया, जमुई, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा तथा मधेपुरा जिलों का वित्तीय प्रगति में 75 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय हुआ है जबकि सिवान, किशनगंज, सुपौल, बाँका, पूवी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिलों की 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 75 प्रतिशत से कम राशि व्यय हुआ है। कटिहार तथा अररिया जिलें से 50 प्रतिशत से न्यून वित्तीय प्रगति रहने पर कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया तथा इनसे पुनः स्पष्टीकरण पृच्छा करने हेतु निदेश दिया गया।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत नालन्दा, रोहतास, कैमूर, नवादा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा एवं सारण जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय होना प्रतिवेदित है परन्तु पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, किशनगंज जिलें में 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 75 प्रतिशत से कम राशि व्यय होना प्रतिवेदित है जबकि कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, बाँका एवं सीतामढ़ी जिलें में 50 प्रतिशत से भी कम राशि व्यय होने के कारण इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेश दिया गया।
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मात्र पटना, भोजपुर एवं कैमूर जिलें में 75 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय हुआ है जबकि औरंगाबाद, नालन्दा, समस्तीपुर जिलें में 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 75 प्रतिशत से कम राशि का व्यय हुआ है। 50 प्रतिशत से कम राशि व्यय होने वाले जिले अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिला के जिला कृषि पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पृच्छा करने हेतु निदेश दिया गया।
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रचार–प्रसार मद में वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया के द्वारा अभीतक शून्य राशि प्रतिवेदित रहने के कारण गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया।
9. सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि योजना क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय तथा शत्प्रतिशत राशि की उपयोगिता सुनिश्चित की जाय एवं मार्च, 2010 की समाप्ति पर कैश बुक की छायाप्रति के साथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय जिससे भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर सुलभ कराया जा सके तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिये राशि की उपलब्धता हेतु अनुरोध किया जा सके।
10. कृषि निदेशालय के पत्रांक–78 दिनांक 02 फरवरी, 2010 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत संशोधित कार्यक्रम के साथ ही अनुसूची–3 के कंडिका–8 के विवरण के अनुसार जिलों से ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, बामेती को राशि प्रत्यापर्ण हेतु निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन अभीतक संबंधित

जिलों द्वारा नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि इसका अनुपालन शीघ्र किया जाय जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन/गेहूँ अन्तर्गत अन्य जिलों को राशि उपलब्ध कराया जा सके।

11. जिला कृषि पदाधिकारी, पटना द्वारा अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत इस जिले को अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम से गरमा मूँग के लिये लक्ष्य आवंटित किया जाय।
12. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम में कतिपय जिलों द्वारा जीरोटिलेज एवं रोटावेटर को एक दूसरे में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया। इसपर कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा सहमति देते हुये निदेश दिया कि संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी इस संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव कोषांग को उपलब्ध कराते हुये राशि की उपयोगिता सुनिश्चित करें।
13. कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि परियोजना प्रबंधन दल के गठन हेतु जिन जिलों में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यदि नहीं प्राप्त हो रहें है वैसी परिस्थिति में तीन बार आरक्षित श्रेणी के विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् इसके नहीं भरे जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुये समान्य श्रेणी के उम्मीदवार से स्वीकृत बल को पूर्ण कर लिया जाय तथा इनका समुचित उपयोग योजना क्रियान्वयन में कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पक्का खलिहान के निर्माण कार्यक्र अन्तर्गत अभी तक अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं की गयी है। अतः निदेश दिया गया कि इसमें शत्प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जाय तथा प्रत्येक खलिहान तथा लाभुक का फोटोग्राफ संधारित किया जाय तथा समेकित प्रतिवेदन सी0डी0 के माध्यम से कोषांग को उपलब्ध कराया जाय।
15. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, सारण के स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों के भुगतान लंबित है। निदेश दिया गया कि इसमें त्वरित गति से कार्य का निष्पादन किया जाय। अन्य जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को भी निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में आपूर्त्तिकत्ताओं का दावा भुगतान लंबित नहीं रहना चाहियें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
16. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लाभुकों की सूची अभी तक अप्राप्त है जो बहुत ही खेदजनक है। निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र में सभी कार्यक्रमों के लिये अलग–अलग वर्षवार/घटकवार/कार्यक्रमवार/कोटिवार लाभान्वितों की सूची तैयार कर संधारित की जाय तथा इसकी एक प्रति कोषांग को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
17. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत विभिन्न फसलों हेतु अलग–अलग वर्ष 2010–11 के लिये कार्य योजना तैयार की जानी है। इसके लिये गत् वर्ष के लक्ष्य के साथ विहित प्रपत्र सभी संबंधित जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। निदेश दिया गया कि जिन जिलों से अभी तक कार्य योजना अप्राप्त है एक सप्ताह के अन्दर कार्य योजना तैयार कर कोषांग को उपलब्ध करा दिया जाय।

18. सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वर्ष 2010–11 में क्रियान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत मिनीकिट बीज वितरण तथा प्रत्यक्षण कार्यक्रम के लिये सर्वथा योग्य कृषकों का चयन किया जाय तथा चयनित कृषकों के स्थल का भी चयन कर लिया जाय जिससे इस कार्यक्रम को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जा सके।
19. निदेश दिया गया कि अनुदानित दर पर बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, चूना/जिप्सम पॉयराइट, पौधा संरक्षरण रसायन आदि उपादानों के समुचित वितरण हेतु इनकी मात्रा लक्ष्य के अनुसार सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाय तथा प्रत्येक प्रखंड के लिये कम से कम एक प्रतिष्ठान का संबंधन कर लिया जाय।
20. निदेश दिया गया कि कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त कृषि यंत्रों की उपलब्धता हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाय तथा इसके दर निर्धारण आदि की प्रक्रिया समय पूर्व कर ली जाय।
21. सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि को निदेश दिया गया कि अपने–अपने संबंधित जिला अन्तर्गत कार्यक्रमों का भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह के अन्दर जाँच प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा नियमित रूप से अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाय एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाय।
22. जिलों से प्राप्त माह जनवरी, 2010 का प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त समीक्षा की गयी। जिलों से प्राप्त इस माह का प्रगति प्रतिवेदन फसलवार अनुसूची–1 के रूप में अनुलग्न है।

(डॉ0 बी॰ राजेन्दर)
कृषि निदेशक–सह–मिशन
निदेशक,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :................................./कृ0, पटना, दिनांक जनवरी, 2010।

प्रतिलिपि :(1) संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) सभी संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,

बिहार, पटना।

कृषि विभाग, बिहार सरकार

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2009 को सारण, दरभंगा एवं तिरहुत प्रमंडल अन्तर्गत जिलों का पटना में आयोजित मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति अलग से संधारित।

बैठक की कार्यवाही

1. जिलों से प्राप्त माह नवम्बर, 2009 का प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर जिलावार/कार्यक्रमवार समीक्षा की गयी। जिलों से प्राप्त इस माह का प्रगति प्रतिवेदन फसलवार अनुसूची–1 के रूप में अनुलग्न है।

सारण प्रमंडल

2. सारण जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत जीरोटिलेज मशीन तथा पक्का थ्रेसिंग फ्लोर में उपलब्धि कम हुयी है। परियोजना प्रबंधन दल में स्वीकृत बल के अनुरूप कर्मियों के नियोजन हेतु कार्रवाई नहीं हुयी है। जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान को निदेश दिया गया कि उपरोक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।
3. सिवान जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जीरोटिलेज ड्रील मशीन में उपलब्धि कम है तथा अन्य कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय लक्ष्य प्रतिवेदित नहीं है। जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में सामानुपात सही रखा जाय। पक्का थ्रेसिंग फ्लोर का फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन भी भेजा जाय।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमंडल द्वारा सूचित किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2009–10 के कार्यान्वयनुदेश में चिलेटेड जिंक के प्रयोग की अनुमान्य मात्रा 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 1–1.25 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। इस संबंध में आश्वासन दिया गया कि तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर यदि आवश्यक हुआ तो अपेक्षित संशोधन किया जायेगा।

दरभंगा प्रमंडल

5. मधुबनी जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अन्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रमों में उपलब्धि अत्यंत कम है। गत् माह की समीक्षा में राशि के उपयोग होने का आश्वासन देने के वाबजूद इस माह में प्रगति अत्यंतकम रहने के कारण क्षोभ व्यक्त किया गया एवं इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी से स्पष्टीकरण पृच्छा हेतु निदेश दिया गया।

6. दरभंगा जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन में राशि का उपयोग अत्यंत कम हुआ है तथा पक्का खलिहान के निर्माण में उपलब्धि अत्यंत ही कम है। निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण पृच्छा की जाय।
7. समस्तीपुर जिला के समीक्षा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत पक्का खलिहान, पम्पसेट, रोटावेटर में वित्तीय उपलब्धि अपेक्षाकृत कम अंकित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन उपलब्धि अत्यंतही कम है। निदेश दिया गया कि सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण, पौधा संरक्षण उपादानों का वितरण एवं कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम में तेजी लाते हुए शत्प्रतिशत उपलब्धि हासिल किया जाय।

तिरहुत प्रमंडल

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत चयनित वैशाली जिला में उपलब्धि अत्यंत कम प्रतिवेदित है। अभीतक पक्का खलिहान के निर्माण का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि अपेक्षाकृत कम है। निदेश दिया गया कि सभी कार्यक्रमों का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि शत्प्रतिशत हासिल किया जाय।
9. सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ में अनुदानित दर पर वितरण कार्यक्रम का भुगतान की स्थिति अपेक्षाकृत धीमी रहने के कारण वित्तीय उपलब्धि भौतिक उपलब्धि के अनुरूप नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत पक्का खलिहान का निर्माण की उपलब्धि अभी तक शून्य प्रतिवेदित है। निदेश दिया गया कि जिन कार्यक्रमों में प्रगति नग्नय है अथवा अत्यंत कम है उसके प्रगति में तेजी लायी जाय।
10. पश्चिमी चम्पारण जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत उपलब्धि अत्यंत ही कम है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अनतर्गत अभी तक जीरोटिलेज मशीन, पम्पसेट एवं नैपसेक में प्रगति बहुत ही कम है। पक्का खलिहान के निर्माण कार्य भी अत्यंत धीमी रहने के कारण क्षोभ व्यक्त किया गया। निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण से कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रगति धीमी रहने के कारण स्पष्टीकरण पृच्छा की जाय।
11. पूर्वी चम्पारण जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत कृषि यांत्रिकरण में अनुदानित दर पर रोटावेटर, पम्पसेट, नैपसेक, जीरोटिलेज में अपेक्षाकृत उपलब्धि कम रहने एवं पक्का खलिहान के निर्माण कार्य में प्रगति कम रहने कारण जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से स्पष्टीकरण पृच्छा हेतु निदेश दिया गया।
12. मुजफ्फरपुर जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ में उपलब्धि औसत पाया गया परन्तु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन में उपलब्धि बहुत ही कम पाया गया।
13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी संबंधित जिलों को राशि का आवंटन तथा प्रसार सामग्री का हार्ड एवं साफ्ट कॉपी प्रारूप उपलब्ध करा दिये जाने के वाबजूद अधिकांश जिलों में इसका प्रदर्शन/क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को अलग से स्पष्टीकरण पृच्छा की जाय जिससे कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं राशि की उपयोगिता में तेजी लायी जा सके।

सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्यक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन विधिवत किया जाय तथा लाभुकों के चयन में सतर्कता बरती जाय। अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम में तेजी लायी जाय तथा नियमानुसार योग्य प्रतिष्ठित निजी बीज प्रतिष्ठानों से गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :................................../कृ0, पटना, दिनांक दिसम्बर, 2009।

प्रतिलिपि :(1) संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,

बिहार, पटना।

भवदीय की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2009 को आहूत राज्य स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत सारण, दरभंगा एवं तिरहुत प्रमंडल के जिलों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का स्वच्छ प्रारूप तैयार कर संचिका में सम्मुख पृष्ठ पर रखा गया है। कृपया अवलोकनोपरान्त बैठक की कार्यवाही पर अपना अनुमोदन देना चाहेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी

<u>**कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक**</u>

रा॰खा॰सु॰मि0॰को0॰

कृषि विभाग, बिहार सरकार

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 18.12.2009 को कोशी एवं भागलपुर प्रमंडल अन्तर्गत जिलों का पटना में आयोजित मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति अलग से संधारित।

बैठक की कार्यवाही

1. जिलों से प्राप्त माह नवम्बर, 2009 का प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर जिलावार/कार्यक्रमवार समीक्षा की गयी। जिलों से प्राप्त इस माह का प्रगति प्रतिवेदन फसलवार अनुसूची–1 के रूप में अनुलग्न है।

कोशी प्रमंडल

2. सहरसा जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि औसत है परन्तु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत उपलब्धि मात्र 12% है। जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया गया कि कृषि यांत्रिकरण तथा प्रचार–प्रसार में तेजी लायी जाय तथा गरमा में दलहनी फसलों के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत्प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जाय।
3. सुपौल जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत उपलब्धि औसत है। परन्तु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ एवं दलहन में उपलब्धि क्रमशः 20% एवं 7.75% है। समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल द्वारा फसलोत्पादन कार्यक्रमों का सही ढ़ग से योजना तैयार कर क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। गत् बैठक में दिये गये निदेश एवं आश्वासन के वाबजूद योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार में उपलब्धि अभी भी शून्य है जिससे प्रमाणित होता है कि कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुँचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल से इस संबंध में स्पष्टीकरण पृच्छा की जाय।
4. मधेपुरा जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवम्बर माह तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत उपलब्धि 52% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ एवं दलहन अन्तर्गत उपलब्धि मात्र 15% एवं 4% प्रतिवेदित है। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा आश्वस्त किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप यथा संभव उपलब्धि हासिल कर ली जायेगी। इस जिला में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है।

5. खगड़िया जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य का मात्र 40% उपलब्धि प्रतिवेदित है। अभी भी सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम, पम्पसेट वितरण, जीरोटिल सीड ड्रिल वितरण एवं नैपसेक स्प्रेयर वितरण में उपलब्धि शून्य है। जिला नोडल पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा सूचित किया गया कि कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अभी तक होडिंग, पोस्टर आदि का प्रदर्शन व्यापक रूप से नहीं कराया गया है। अपेक्षाकृत उपलब्धि अत्यंत कम रहने एवं प्रचार–प्रसार नहीं किये जाने के कारण जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया से स्पष्टीकरण पृच्छा करने हेतु निदेश दिया गया।
6. पूर्णिया जिले से प्राप्त नवम्बर माह के प्रतिवेदन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत मात्र 19% एवं दलहन अन्तर्गत 1% की उपलब्धि अंकित है जिससे स्पष्ट है कि पूर्णिया जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गयी है। राज्य परामर्शी, डॉ॰ शिव कुमार प्रसाद द्वारा जिला के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बीज निगम, तराई बीज निगम एवं अन्य निजी बीज कम्पनियों के पूर्णिया में व्यवसायिक केन्द्र रहने के वाबजूद गेहूँ एवं दलहनी फसलों के बीज की उपलब्धता एवं आरक्षण हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अतः क्षोभ व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया के विरूद्ध इस संबंध में स्पष्टीकरण पृच्छा की जाय।
7. कटिहार जिला के समीक्षा के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत 34% तथा गेहूँ अन्तर्गत मात्र 23% उपलब्धि प्रतिवेदित है। जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार द्वारा आश्वासन दिया गया कि उपलब्धि हासिल करने हेतु यथा संभव प्रयास किया जाय।
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत चावल एवं गेहूँ अन्तर्गत यह जिला अच्छादित है जिसमें क्रमशः 46% एवं 67% उपलब्धि प्रतिवेदित है। परन्तु परियोजना प्रबंधन दल का गठन अभी तक इस जिले में नहीं हो सका है। जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया गया कि अपने जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर परामर्शी एवं तकनीकी सहायकों के नियोजन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर ली जाय।
9. अररिया जिला से प्राप्त प्रतिवेदन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अन्तर्ग उपलब्धि शून्य है। जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया द्वारा सरकारी कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की अभिरूचि नहीं लिये जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि इस संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाने हेतु अलग से पत्र भेजा जाय।

भागलपुर प्रमंडल

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत चयनित भागलपुर जिला में नवम्बर माह तक उपलब्धि मात्र 1.45% प्रतिवेदित है। कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। अतः निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर से स्पष्टीकरण पृच्छा करते हुए प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं संयुक्त कृषि निदेशक, भागलपुर को समीक्षा करने तथा यदि आवश्यक हो तो विभागीय कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा सहित प्रपत्र ''क'' भेजने के लिए अनुरोध भी किया जाय।

11. बाँका जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ अन्तर्गत उपलब्धि क्रमशः 48% एवं 5% प्रतिवेदित है। कृषि निदेशक –सह–मिशन निदेशक द्वारा विगत माह में बाँका जिला का निरीक्षण एवं समीक्षा में योजना क्रियान्वयन में कमी को तेजी लाने हेतु निदेशित किया गया था तथा आदेश दिया गया था कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नियमानुसार उपलब्धि हासिल की जाय। परन्तु अभी तक ना तो कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया है, न ही विभिन्न उपादानों के वितरण में कोई अपेक्षित तेजी लायी गयी है। अतः बाँका जिले में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने के संबंध में स्पष्टीकरण पृच्छा करने हेतु निदेश दिया गया।
12. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगेर जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत उपलब्धि औसत है। जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा आश्वस्त किया गया कि यथा संभव उपलब्धि हासिल कर ली जायेगी।
13. जमुई जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत उपलब्धि 74% है जिसके कारण चावल अन्तर्गत अच्छादित 18 जिलों में प्रथम स्थान पर है। अतः उत्साह वर्द्धन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई को उपलब्धि में निरंतरता रखने हेतु प्रसंशा पत्र निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया।
14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत नवम्बर माह के प्रगति प्रतिवेदन में शेखपुरा जिला में उपलब्धि 40% है। जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा को लाभान्वित कृषकों की कम्प्यूटरीकृत सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी कोषांग में उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।
15. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी संबंधित जिलों को राशि का आवंटन तथा प्रसार सामग्री का हार्ड एवं साफ्ट कॉपी प्रारूप उपलब्ध करा दिये जाने के वाबजूद अधिकांश जिलों में इसका प्रदर्शन/क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को अलग से स्पष्टीकरण पृच्छा की जाय जिससे कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं राशि की उपयोगिता में तेजी लायी जा सके।

सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्यक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन विधिवत किया जाय तथा लाभुकों के चयन में सतर्कता बरती जाय। अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम में तेजी लायी जाय तथा नियमानुसार योग्य प्रतिष्ठित निजी बीज प्रतिष्ठानों से गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण सुनिश्चित किया जाय। पक्का खलिहान के लिये चयनित कृषकों का बैठक आयोजन कर निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय तथा प्रत्येक निर्मित पक्का खलिहान का लाभान्वित कृषक के साथ साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफ सुरक्षित रखा जाय।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :................................./कृ0, पटना, दिनांक   दिसम्बर, 2009।

प्रतिलिपि :(1) संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,

बिहार, पटना।

कृषि विभाग, बिहार सरकार

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 19.12.2009 को पटना एवं मगध प्रमंडल अन्तर्गत जिलों का पटना में आयोजित मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति अलग से संधारित।

बैठक की कार्यवाही

1. जिलों से प्राप्त माह नवम्बर, 2009 का प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर जिलावार/ कार्यक्रमवार समीक्षा की गयी। जिलों से प्राप्त इस माह का प्रगति प्रतिवेदन फसलवार अनुसूची–1 के रूप में अनुलग्न है।

पटना प्रमंडल

2. पटना जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि 35% है। जिला कृषि पदाधिकारी, पटना द्वारा अनुरोध किया गया कि दलहनी बीज की उपलब्धता कम रहने के कारण बीजोत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम में उपलब्धि संभावित नहीं है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2009–10 अन्तर्गत पूर्व निर्धारित लक्ष्य में ''इन्टरकम्पोनेन्टल चेन्ज'' किये जाने पर अपेक्षित उपलब्धि हासिल की जा सकती है। पत्रांक 2541 दिनांक 27.11. 2009 के द्वारा भेजे गये उनके प्रस्ताव को बैठक में स्वीकृति दी गयी एवं निदेश दिया गया कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रस्तावित लक्ष्य के अनुरूप किया जाय।
3. नालन्दा जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत उपलब्धि 59% है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ एवं दलहन में उपलब्धि क्रमशः 56% एवं 42% है। जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा आश्वासन दिया गया कि शेष उपलब्धि भी हासिल कर ली जायेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत अभी तक अच्छी उपलब्धि होने के फलस्वरूप प्रशंसा पत्र देने हेतु निदेश दिया गया।
4. भभुआ जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवम्बर माह तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत उपलब्धि 42% तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत उपलब्धि 30% प्रतिवेदित है। जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ को निदेश दिया गया कि उपलब्धि प्राप्त करने में तेजी लायी जाय। जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ द्वारा अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत अनुदानित दर पर जीरोटिलेज सीड ड्रिल वितरण हेतु 50 अतिरिक्त भौतिक लक्ष्य में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता होगी। इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा भी अनुरोध किया गया कि उनके जिला में जीरोटिलेज सीड ड्रिल की माँग अधिक है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत इस कार्यक्रम के भौतिक लक्ष्य को 100 किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास को स्वीकृति दी गयी। जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत माह नवम्बर, 2009 तक वित्तीय उपलब्धि मात्र 18% ही रहने के कारण इनसे स्पष्टीकरण पृच्छा करने हेतु निदेश दिया गया।
6. भोजपुर जिले से प्राप्त माह नवम्बर, 2009 के प्रगति प्रतिवेदन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत मात्र 33% वित्तीय उपलब्धि अंकित है। कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम तथा लोकल इनिसिएटिव में अपेक्षित उपलब्धि हासिल करने हेतु निदेश दिया गया।

मगध प्रमंडल

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत गया जिला में नवम्बर माह तक उपलब्धि मात्र 53% प्रतिवेदित है। सुक्ष्म पोषक तत्व, कृषि यांत्रिकरण तथा पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण कार्य में अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं हुयी है। अतः निदेश दिया गया कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन गंभीरता से किया जाय।
8. औरंगाबाद जिला के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत मात्र 5% उपलब्धि प्रतिवेदित है। इस जिले में भुगतान की स्थिति अत्यंत ही असंतोषप्रद रहने के कारण क्षोभ व्यक्त किया गया एवं इनसे स्पष्टीकरण पृच्छा हेतु निदेश दिया गया तथा राज्य परामर्शी एवं संयुक्त कृषि निदेशक, मगध प्रमंडल, संयुक्त रूप से औरंगाबाद तथा गया का निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।
9. नवादा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत उपलब्धि मात्र 7% है परन्तु जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा द्वारा सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहा है।
10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी संबंधित जिलों को राशि का आवंटन तथा प्रसार सामग्री का हार्ड एवं साफ्ट कॉपी प्रारूप उपलब्ध करा दिये जाने के वाबजूद अधिकांश जिलों में इसका प्रदर्शन/क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को अलग से स्पष्टीकरण पृच्छा की जाय जिससे कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं राशि की उपयोगिता में तेजी लायी जा सके।

सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्यक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन विधिवत किया जाय तथा लाभुकों के चयन में सतर्कता बरती जाय। अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम में तेजी लायी जाय तथा नियमानुसार योग्य प्रतिष्ठित निजी बीज प्रतिष्ठानों से गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण सुनिश्चित किया जाय। पक्का खलिहान के लिये चयनित कृषकों का बैठक आयोजन कर निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय तथा प्रत्येक निर्मित पक्का खलिहान का लाभान्वित कृषक के साथ साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफ सुरक्षित रखा जाय।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :................................../कृ0, पटना, दिनांक दिसम्बर, 2009।

प्रतिलिपि :(1) संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,

बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 12,13 एवं 16 अगस्त, 2009 को आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक (माह अगस्त, 2009) की कार्यवाही।

उपस्थिति : अलग से संधारित।

बैठक की कार्यवाही :

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत चिन्हित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक के साथ निर्धारित समयानुसार बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग में दिनांक 11.08.2009 तक प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिलावार/कार्यक्रमवार योजना की समीक्षा की गयी।

2. गत माह की बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खेद व्यक्त किया गया। जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बैठक में दिये गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. बैठक में परियोजना निदेशक (आत्मा), मजुफ्फरपुर, बेतिया के विलम्ब से आने के कारण स्पष्टीकरण पृच्छा का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग)

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल वर्ष 2009–10 अन्तर्गत फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम के लाभान्वितों की सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि प्रत्यक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभुक कृषकों की कोटिवार सूची सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में तैयार कर कोषांग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय।

   (अनुपालन – संबंधित सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं दलहन अन्तर्गत चिहित अधिकांश जिलों में सुखाड़ की स्थिति रहने के कारण विभिन्न कार्यक्रमों में उपलब्धि नगन्य पाया गया।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत सिवान जिले के भौतिक उपलब्धि की तुलना में वित्तीय उपलब्धि समरूप नहीं पाया गया जिसे संशोधित कर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

7. दलहन बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत दलहनी बीजों का सरकार द्वारा निर्धारित क्रय मूल्य कम रहने तथा बाजार मूल्य अधिक रहने के कारण कृषकों द्वारा उत्पादित बीज के बिहार राज्य बीज निगम द्वारा क्रय करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उच्च स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस की गई।

8. रा0खा0सु0मि0–चावल, गेहूँ एवं दलहन अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जिले की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि अनुलग्न अनुसूची के अनुसार है।

(अनुपालन – डॉ0 वीरेन्द्र सिंह, परामर्शी–गेहूँ, रा0खा0सु0मि0को0)

9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग / वॉल पेन्टिग शीघ्र करा लिये जाने पर विशेष बल दिया गया।

(अनुपालन – जिला कृषि पदाधिकारी)

10. जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर, अररिया, खगड़िया, मधुबनी, बांका, शेखपुरा एवं मधेपुरा से बेस लाईन सर्वे अभी तक नहीं उपलब्ध कराने पर खेद प्रकट किया गया तथा संबंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पृच्छा हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सुबोध कुमार सुधांशु, व0त0स0–चावल, रा0खा0सु0मि0को0)

11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2009–10 के मार्गदर्शिका के अनुसार योजना का कार्यान्वयन करने तथा कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत्प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जाय।

(अनुपालन – जिला कृषि पदाधिकारी)

12. जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को स्पष्ट किया गया कि स्प्रिंकलर सेट के वितरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मूल्य का 50 प्रतिशत तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मात्र 40 प्रतिशत तथा शेष राज्यांश 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में निर्धारित है।

13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन एवं गेहूँ अन्तर्गत जिलों को निर्धारित लक्ष्य के शत्प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु समयपूर्व तैयारी करने हेतु निदेश दिया गया। प्रत्यक्षण एवं प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के शत्प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से सरकारी बीज प्रतिष्ठानों से उपयुक्त प्रभेदों का शीघ्र आरक्षण करा लेने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – जिला कृषि पदाधिकारी)

14. सूक्ष्म पोषक तत्व, चूना / जिप्सम / पॉयराइट तथा पौधा संरक्षण रसायनों एवं कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप यंत्र / मशीनों की उपलब्धता एवं दर निर्धारण सुनिश्ति करने हेतु निदेश दिया गया।

15. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन वर्ष 2009–10 अन्तर्गत फसल प्रत्यक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम निमित्त बीज की आयु सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष से भी अधिक की छूट देने पर भारत सरकार की सहमति से अवगत कराया गया।

16. संबंधित सभी संयुक्त कृषि निदेशक को निदेश दिया गया कि योजना क्रियान्वयन तथा दिये गये निदेश का अनुपालन अपने अधिनस्थ जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

17. किसान पाठशाला अन्तर्गत कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी को उपलब्ध कराये गये राशि की उपयोगिता तथा कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

18.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए जिलों के निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का प्रखंडवार पुनः लक्ष्य निर्धारण का निदेश दिया गया तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को विखन्डित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दायित्व के निर्धारण हेतु जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

19.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में भारत सरकार से प्राप्त निधि जिसे जिलों को उपलब्ध करायी गई है तथा जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय किया गया है उसका आन्तरिक अंकेक्षण करने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मेसर्स पी0 ज्योति एन्ड सन्स, पटना का चयन हुआ है। अंकेक्षण कार्य सम्पादित करने की दिशा में निदेश दिया गया कि संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी वांछित आवश्यक अभिलेखों को जाँच हेतु उन्हें उपलब्ध करावेंगे।

20.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदानित दर पर वितरित पम्पसेट के लाभुकों की सूची विहित प्रपत्र में कम्प्यूटर टंकित एवं स्पाइरल वाइंडिंग कराकर तीन प्रतियों में कोषांग में उपलब्ध कराने हेतु जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

21.परियोजना प्रबंधन दल के गठन में त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

22.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2008–09 में जिलों में हुई उपलब्धि के आधार पर स्पष्टीकरण पृच्छा करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – डॉ0 वीरेन्द्र सिंह, परामर्शी–गेहूँ, रा0खा0सु0मि0को0)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :................................/कृ0, पटना, दिनांक सितम्बर, 2009।

प्रतिलिपि : (1) सभी संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (पौ0सं0), पटना/राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.